आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या – 33 / 2022
गुंजा कुमारी
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	*आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर*	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
02.03.2023	यह वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 10646 / 2020 में दिनांक–17.01.2022 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में दिनांक 23.01.2020 को लिये गये निर्णय से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.01.2022 को पारित आदेष का अंश :– **"As the petitioner has alternative remedy, this application is disposed of with an observation that the petitioner shall have liberty to approach appropriate/statutory authority by raising grievance as raised in the wirt application. If she does so within four weeks from today, the Courts expects that the appropriate/statutory authority shall consider the petitioner's grievance and dispose it of within three months thereafter."** आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है किः– (i) आवेदिका इंटर पास है, परंतु विपक्षी सं0–05 श्री नवीन कुमार मैट्रिक पास है। (ii) आवेदिका द्वारा आवेदन के साथ मैट्रिक और इंटर का प्रमाण–पत्र, कम्प्यूटर प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र और खतियान / केवाला जमा किया गया है।	

WEB COPY NOT OFFICIAL

(iii) छः माह बाद औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित किया गया और दावा/आपत्ति की मांग की गयी। सभी आवेदकों द्वारा वैसे कागजात जमा किये गये जो आवेदन के समय संलग्न नहीं किया गया था।

(iv) आवेदिका द्वारा फाइनल मेरिट लिस्ट के बहुत पहले कम्प्यूटर ज्ञान का प्रमाण पत्र जमा किया गया है।

(v) आवेदन जाँच प्रतिवेदन एवं मेधा सूची के समीक्षोपरांत मूल आवेदन में कम्प्यूटर ज्ञान दर्ज होने तथा आपत्ति आवेदन के साथ कम्प्यूटर ज्ञान का प्रमाण–पत्र संलग्न किये जाने के फलस्वरूप आवेदिका को अनुज्ञप्ति हेतु अनुशंसित किया गया।

(vi) विपक्षी सं0–05 श्री नवीन कुमार द्वारा निवास प्रमाण–पत्र जमा नहीं किया गया है, जो अनिवार्य था। इस प्रकार उनका चयन नियम विरूद्ध है।

विपक्षी सं0–05 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदिका के पास उच्च योग्यता रहने के बावजूद कम्प्यूटर ज्ञान का प्रमाण–पत्र आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 15.01.2018 के बाद का होने के कारण उनका चयन नहीं किया गया। विपक्षी सं0–05 श्री नवीन कुमार की योग्यता मैट्रिक है और उनके द्वारा कम्प्यूटर ज्ञान का प्रमाण–पत्र आवेदन के अंतिम तिथि के पहले जमा किया गया था।

वहीं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के अनुसार पुनरीक्षणकर्ता का कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रमाण–पत्र आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 15.01.2018 के बाद की है, जिस कारण उनका (पुनरीक्षणकर्ता) चयन नहीं किया गया है। जिला स्तरीय चयन समिति का आदेश विधिसम्मत है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :–

(i) आवेदिका श्रीमती गुंजा कुमारी इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है। परंतु विपक्षी सं0–05 श्री नवीन कुमार मात्र मैट्रिक उत्तीर्ण है।

(ii) विपक्षी सं0–05 श्री नवीन कुमार के द्वारा आवेदन के साथ संलग्न कम्प्यूटर प्रमाण–पत्र दिनांक 22.07.2015 का निर्गत है, जबकि आवेदिका द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 15.01.2018 के पश्चात्

WEB COPY NOT OFFICIAL

दिनांक 05.07.2018 को कम्प्यूटर प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है।

समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 30.12.2017 को प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका 5 में अंकित है कि :–*''अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु आवेदन पत्र अनुमंडलवार दिनांक 15 जनवरी 2018 तक कार्यालय अवधि में केवल निबंधित डाक द्वारा ही स्वीकार्य होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।''*

आवेदिका द्वारा दिनांक 17.04.2018 को निर्गत कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है जबकि आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2018 है।

(iii) विपक्षी सं0–05 श्री नवीन कुमार द्वारा अपने आवेदन के साथ आवासीय प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किया गया है, जिससे उनका आवेदन अपूर्ण हो जाता है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में नई अनुज्ञप्ति हेतु जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात से स्पष्ट नहीं है कि क्या निर्धारित अंतिम तिथि के बाद भी सभी आवेदकों को पॉलिसी के तहत कागजात समर्पित करने का मौका दिया गया या नहीं?

अतः जिला चयन समिति के दिनांक 23.01.2020 को लिये गये निर्णय को त्रुटिपूर्ण पाते हुए प्रस्तुत वाद को जिला स्तरीय चयन समिति, मुजफ्फरपुर को इस निदेश के साथ वापस किया जाता है कि आवेदिका एवं विपक्षी सं0–05 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद के गुण–दोष पर विचारोपरांत यथाशीघ्र नियमानुकूल निर्णय/मुखर आदेश पारित करें। निम्न न्यायालय/जिला चयन समिति का अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त।**

WEB COPY NOT OFFICIAL